

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 506] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 15, 1983/कार्तिक 24, 1905
No. 506] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 15, 1983/KARTIKA 24, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 1983

का. आ. 812 (अ) :—केंद्रीय सरकार, विदेशियों विषयक अधिनियम,
1946 (1946 का 31) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित
आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का नाम विदेशियों विषयक (पहचान के सबूत) आदेश,
1983 है ।

(2) यह 20-11-83 को प्रवृत्त होगा और 5 दिसम्बर, 1983 तक प्रवृत्त
रहेगा ।

2. प्रत्येक ऐसा विदेशी जिसे, भारत में प्रवेश करने के प्रयोजन के लिए पारपत्र या किसी अन्य प्रकार की यात्रा दस्तावेज रखना अपेक्षित है, सभी समयों पर, जब वह दिल्ली, गोआ, आगरा, जयपुर तथा जोधपुर में हो, अपना पारपत्र या ऐसा अन्य यात्रा दस्तावेज, जिसको रखना अपेक्षित है या पहचान का अन्य सबूत, साथ ही विदेशियों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 1939 और विदेशियों विषयक आदेश, 1948 के अधीन उसे जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र और आवासिक अनुज्ञापत्र अपने पास रखेगा और, उसे कांस्टेबल या उससे ऊँचे रैंक के पुलिस अधिकारी या ऐसे किसी अन्य अधिकारी के समक्ष जो विदेशियों के सम्बन्ध में आंतरिक सुरक्षा या कार्य से संबद्ध है, मांग की जाने पर प्रस्तुत करने का दायी होगा।

[सं. 14013/191/83-एफ.-1]

सुरजीत सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th November, 1983

S.O. 812(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Foreigners Act, 1946 (3 of 1946) the Central Government hereby makes the following order, namely :—

1. (1) This order may be called the Foreigners (Proof of Identity) Order, 1983.

(2) It shall come into force on the 20th Nov., 1983 and shall remain in force till the 5th December, 1983.

2. Every foreigner who is required to be in possession of a passport or any other kind of travel document for purpose of entry into India shall carry with him at all times, while he is in Delhi, Goa, Agra, Jaipur and Jodhpur, his passport or such other travel document as is required to be in his possession or other proof of his identity as also the certificate of registration and residential permit if any, issued to him under the Registration of Foreigners Rules, 1939 and the Foreigners Order, 1948, and shall be liable to produce the same on demand to any police officer of or above the rank of a constable or to any other officer concerned with internal security or work in respect of foreigners.

[No. 14013/191/83-F.I.]

SURJIT SINGH, Jt. Secy.